उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–6
संख्याः 976 / 77–6–2019–एल0सी0 03 / 2018
लखनऊः दिनांकः 05 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 के प्रस्तर–12.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त नीति को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाई जाती है:–

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन), 2019

उद्देश्य– उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 में संशोधन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के अग्रेतर प्रेरक के रूप में प्रोन्नति / समुत्थान व क्षेत्र के विकास के साथ–साथ यह संशोधन उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करायेगा ।

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1). यह नीति **उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019 कही जायेगी।**

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मूल नीति के प्रस्तरों का प्रतिस्थापन

2 उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 में, जिसे आगे मूल नीति कहा गया गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात :–

मा.लो.

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
मूल नीति का प्रस्तर संख्या	**विद्यमान प्रस्तर**	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर**
2.5	**2.5 उत्तर प्रदेश–लाभ की स्थिति** **उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर–** उत्कृष्ट अवरथापना सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है–	**2.5 उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर:–** उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है :–
	1. **डिफेन्स पार्क–**कानपुर तथा अन्य जिलों, जैसे–झाँसी, आगरा, लखनऊ आदि में	1. डिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य जनपदों में विस्तार ।
	2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs)का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।	2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs)का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।
	3. **एयरोस्पेस पार्क–**लखनऊ तथा अन्य जिलों, जैसे–कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर आदि में	**3.** डिफेन्स कॉरिडोर नोड जैसे कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ व अन्य जनपदों में इसके विस्तार की संभावना के साथ एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना ।
	4. **परीक्षण सुविधाओं (Testing Facilities)का विकास–** तोपखाने (Artillery)तथा अन्य सैन्य शस्त्रों हेतु	**4.** परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना, जिसमें तोपखाने के लिए फॉयरिंग रेंज व अन्य सैन्य शस्त्र/उपस्कर हेतु फॉयरिंग रेंज को समाहित करते हुये परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना व विकास ।
	5. **ड्रोन विनिर्माण एवं परिक्षण सुविधाएं**	5.UAV/ड्रोन के प्रारूपों का विकास विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें ।
	6- **वायुयान/हेलिकॉप्टर विनिर्माण /एसेम्बलिंग इकाइयां (Assembling Units)**	**6.** हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का विनिर्माण अथवा उनके संयोजन (Assembling) व रख–रखाव की सुविधायें।
	7. **सेना हेतु ऑटो से संबंधित उपकरण/ पुर्ज़े तथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग**	7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस सम्बन्धी यांत्रिक वाहनों उनके कलपुर्जो का संयुक्तीकरण और आनुषांगिक इकाईयों की स्थापना ।
	8. **पुलिस आधुनिकीकरण**	8. पुलिस के आधुनिकीकरण व लघु तीव्रता के संघर्षो में उपयोग आने वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी (sensor)उपस्कर आदि का निर्माण।

मा॰ ऍ॰

	9. **इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी /सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS)केन्द्र–** आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोण्डा आदि में।	9. **इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS)केन्द्र–** आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा आदि में।
	10. **इंजीनियरिंग केन्द्र**–अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metalprecision work), आगरा में ढलाईखाना (Foundry) इत्यादि।	10. **इंजीनियरिंग केन्द्र**–अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work), आगरा में ढलाईखाना (Foundry) इत्यादि।
	11. **चमड़ा, वस्त्र विनिर्माण केन्द्र** –कानपुर एवं आगरा में रक्षा क्षेत्र हेतु टेकनिकल वस्त्रों का विकास।	11. रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के लिए चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के विनिर्माण केन्द्र ।
	नया नम्बर 12 व 13 जोड़ा जाना	12. शस्त्र, शस्त्र प्रणाली, गोला बारूद व विध्वंसक व आनुषांगिक अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र 13. रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र की स्थापना
3.1	**3.1 नीति के उद्देश्य** 1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना। 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन। 3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना। 4. डिफेन्स कॉरीडोर के समानान्तर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टर्स की स्थापना को प्रोत्साहन।	**3.1 नीति के उद्देश्य** 1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना। 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन। 3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना। 4. एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने–फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना।

मालोक

	5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास। 6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs) /ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना। 7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषंगिक/ सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।	5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास। 6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना। 7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषंगिक/ सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।
	8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिष्चित करना। 9. आगामी 5 वर्षों में डिफेन्स कॉरीडोर में कम से कम 2 विश्वस्तरीय परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D)सुविधाओं का विकास करना। 10. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।	8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना। 9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र .की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र व रक्षा/ एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा। 10. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ–साथ प्रोत्साहित करना
	नया नम्बर 11, 12 व 13 जोड़ा जाना	11. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/ कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/ संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना। 12. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना। 13. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस.एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से common Facility centers(CFCs)की स्थापना की जायेगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करे,

आलोक

		साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध कराना।
3.3	**3.3 परिभाषाएं** **1. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/ तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा। **2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां:** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य–श्रंखला (Value chain)में उपर्यक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इसनीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी।	**3.3 परिभाषाएं** **1. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/ तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण /उपस्कर विनियोजन इकाई उप–संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे। **2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां:** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य–श्रंखला (Value chain)में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी। किसी भी इकाई में निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा– i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो। ii. रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, में वित्तीय अनुदान अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया हो। iii. रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रोद्भूत (offset) योजना के अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो। iv. सेना, नौसेना, वायुसेना/ पैरामिलेट्री अधिष्ठान,

आलोक

		डी.आर. डी.ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो, v. भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री, उपकरण कलपुर्जे अवयव/संयोजन (Assembly)/उप–संयोजन (Sub-Assembly)/उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय/विदेशी रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो।
	3. **मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers-OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा रु0 1000.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो। कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल –एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair &Overhaul – MRO) इकाईको अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में न्यूनतम रु. 50. 00 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो । नोट -इस नीति में परिभाषित एंकर डी एंड ए इकाइयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर डी एंड ए इकाइयों पर भी लागू होंगे।	3. **मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers-OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा रु0 1000.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो। कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल–एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul –MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में न्यूनतम रु. 50 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो । रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र की मेगा एंकर इकाईयां रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमन्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन संकुल छूट की भी हकदार होंगी। नोट -इस नीति में परिभाषित एंकर डी एंड ए इकाइयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर डी एंड ए इकाइयों पर भी लागू होंगे। **रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र** में सेना, नौसेना, वायुसेना, पैरामिलेट्री अधिष्ठान और विशिष्ट मामलों

मालोक

		में DDR&D/DRDO अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा से संबंधित एंकर इकाई और उनके वेंडर्स सम्मिलित माने जायेंगे।
4.	**4. निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क–** उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में, विशेष रूप से सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इन पार्को में 'प्लग–एंड–प्ले' औद्योगिक अवस्थापना सुविधा होगी, जिससे कम्पनियां अपने मुख्य व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इन पार्कों में निम्नलिखित सुविधाएं होगी: 1. विनिर्माण क्षेत्र (कम्पोनेण्ट्स, सब–कम्पोनेण्ट्स, सब–एसेम्बलीज़, एयरोस्पेस पार्ट्स) एवं विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.जेड.) 2. परीक्षण केन्द्र 3. हार्डवेयर/एम्बेडेड प्रौद्योगिकी केन्द्र 4. प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र 5. हाउसिंग एवं कॉमन सुविधा केन्द्र– इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को निजी औद्योगिक पार्को के समानसुविधाएं प्रदान करेगी । (**सन्दर्भ:** उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 का अनुच्छेद 3.2.3)	**4. निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क–** उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में, विशेष रूप से सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इन पार्को में 'प्लग–एंड–प्ले' औद्योगिक अवस्थापना सुविधा होगी, जिससे कम्पनियां अपने मुख्य व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। **रक्षा/एयरोस्पेस पार्क के विकास हेतु पूँजीगत उपादान** : रक्षा/एयरोस्पेस व सामरिक विकास कर्ता यूपीडा से भूमि क्रय कर सकते हैं या अपने स्तर से भी भूमि ले सकते हैं। रक्षा/एयरोस्पेस व सामरिक विकास कर्ताओंको अवस्थापना जनित पश्चसिरा (Back ended) उपादान अधिकतम 10.00 करोड़ की सीमा तक अनुमन्य होगा जिसकी दर सकल स्थावर आस्तियों के 10 प्रतिशत दर पर होगी बशर्ते रक्षा/एयरोस्पेस पार्क कम से कम 50 एकड़ में विकसित किया गया हो। बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाले रक्षा व एयरोस्पेस पार्कों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीगत उपादान 15 करोड़ रू की सीमा तक देय होगा। 50 प्रतिशत उपादान तब अनुमन्य होगी जब पार्क की 25 प्रतिशत भूमि आवंटित हो जायेगी। 100 प्रतिशत उपादान तब अनुमन्य होगा जब पार्क की 50 प्रतिशत भूमि आवंटित हो जायेगी। **अर्हकारी स्थावर (Fixed)आस्तियों की सूची** 1. भूमि (विकास मूल्य के साथ तारबाड़ (Fencing), आंतरिक मार्गों का निर्माण व अन्य मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं सहित) 2. स्थायी इमारत 3. कारखाना, देशज मशीनरी व उपस्कर 4. नवीन आयातित उपस्कर 5. कम्प्यूटर चालित उपस्कर, सामग्री संभालने वाले उपकरण/यन्त्र यथा–Forklifts crane इत्यादि टूल डाई, मोल्ड जिग्स और फिक्चर्स के अलावा समरूपेण उत्पादकता औजार जो इकाई के स्वामित्व और प्रयोग में प्लांट की इकाई के अन्दर अथवा अन्यत्र प्रयुक्त हो रहें हो।

आलोक

		6. उपयन्त्र, विद्युत प्रतिस्थापन, प्रदूषण गुणवत्ता वाले नियंत्रण व प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर फिक्सर ट्यूब, पाइप, फिटिंग, स्टोरेज टैंक जिनका भुगतान परियोजना मद से किया गया हो। 7. अपशिष्ट, परिशोधन परिसम्पत्तियॉं। 8. ट्रांसफार्मर, जनरेटर, कैप्टिव पावर प्लांट आदि और अन्य सहायक सुविधायें जिनकी स्थापना परिसर में की गयी है। स्थापना व्यय सहित।
5.	**5. डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन** 5.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत की जाएगी। 5.2 इस नीति में परिभाषित एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को डिफेन्स कॉरीडोर में भूमि की प्रचलित सर्किल दर अथवा क्रय मूल्य में से जो भी कम हो, की लागत के 25 प्रतिशत् तक की प्रतिपूर्ति। नया नम्बर 5.3, 5.4, 5.4, 5.6 जोड़ा जाना।	5. **डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन** 5.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत की जाएगी। 5.2 एंकर रक्षा/एयरोस्पेस इकाईयां जिसे इस नीति में पूर्व में परिभाषित किया गया है, को डिफेंस कॉरीडोर में भूमि के सकल विकय मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि की छूट दी जायेगी। 5.3 एंकर इकाईयों को अपनी भूमि के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में वेण्डर इकाईयों को लगाने की अनुमन्यता रहेगी। **5.4 भूमि आवण्टन हेतु भुगतान की शर्तें:–** उक्त सुविधायें उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑथारिटी (यूपीडा) द्वारा उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के प्राविधानों के अनुसार दी जायेंगी। 5.5–**पूँजीगत उपादान** रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में नई एंकर इकाइयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 10 प्रतिशत की दर से रू 10.00 करोड़ की सीमा तक और नई वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाइयों को 5 प्रतिशत की दर से 5 करोड़ रूपये की सीमा तक की दर से पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)। यह व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने पर देय होगा।

आलोक

		बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाली रक्षा/एयरोस्पेस इकाइयों को 15 प्रतिशत या 15 करोड़, जो भी कम हो, तथा वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाईयों को 7.50 प्रतिशत या 7.50 करोड़ रूपये पश्चसिरा पूंजीगत उपादान, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा। 5.6 **कॉमन फैसिल्टी सेन्टर को सहायता** कॉमन फैसिल्टी सेन्टर प्रदेश के रक्षा/एयरोस्पेस विनिर्माण के ईको सिस्टम के अतिरिक्त प्रयास में सहायता प्रदान करेगा अत्एव राज्य सरकार प्रत्येक नोड पर कॉमन फैसिल्टी सेन्टर की स्थापना हेतु प्रेरक प्रोत्साहन छूट प्रदान करेगी जो भूमि के रूप में होगी जिसे प्रत्येक नोड के परिक्षेत्र में पूर्व चिन्हांकित किया जायेगा। सी0एफ0सी0 की स्थापना हेतु साफ्ट लोन का भी प्राविधान है। कॉमन फैसिल्टी सेन्टर एक सामूहिक सहयोगी प्रयास होगा जिसमें एम0एस0एम0ई0, रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्र प्रतिभागी होंगे। कॉमन फैसिल्टी सेन्टर की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।
7.1	7.1 **डिफेन्स कॉरीडोर के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास अथवा परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु–** रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा इस प्रकार की सुविधा की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी प्रति इकाई अधिकतम सीमा रु. 2.00 करोड़ होगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि– • रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/सिविल एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल–एम.आर.ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 5.00 करोड़ का प्रत्यक्ष आपूर्ति आदेश होना चाहिए।	7.1 नगरीय क्षेत्र में अर्हकारी अनुसंधान व विकास इकाइयों को 2 (का) फ्लोर स्पेस इन्डेक्स उपलब्ध होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोर स्पेस इन्डेक्स की वर्जना नहीं रहेगी।

मा०लीर

	'अथवा' • रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा एक ऐसे निर्माता को सेवाएं प्रदान की जा रही हों, जिसके पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/नागरिक एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा एम.आर.ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 50.00 करोड़ का आपूर्ति आदेश हो। **नोट**-इकाई द्वारा संालन प्रारम्भ होने के 2 वर्ष के भीतर समस्त मानदण्ड पूर्ण कर लिए जाने चाहिए।	
7.2	**7.2 सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों (Defence PSUs) ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) में सार्वजनिक परीक्षण (Common Testing) तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु**--रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों में सार्वजनिक परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु भुगतान किये गये प्रभार/शुल्क के 50 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 5 लाख तक की जायेगी, समस्त इकाईयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 5 करोड़ रूपये होगी।	7.2 विलोपित।

मालोक

8.	**8. बाजार का विकास (Building Market)** इस नीति के अन्तर्गत पात्र एम.एस.एम.ई. इकाइयां अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों/मेलों में प्रतिभागिता लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 5 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला होगी। यह सुविधा अधिकतम 10 एम.एस.एम.ई. की इकाइयों को दी जायेगी। एक इकाई को यह प्रोत्साहन वर्ष एक ही बार प्रदान किया जायेगा।	8. विलोपित।
9.	नये उप–प्रस्तर 9.3 का जोड़ा जाना	9. मूल नीति में विद्यमान प्रस्तर– 9 के आगे निम्नवत प्रस्तर–9.3 जोड़ दिया जायेगा, अर्थात :– 9.3 कौशल विकास हेतु उपादान– प्रत्येक इकाईयों में अधिकतम 20 प्रशिक्षुओं की सीमा तक प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु रू0 10000.00 की अधिकतम सीमा तक एक वर्ष के लिए कार्य पर तकनीकी प्रशिक्षण का व्यय भार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा।
11.2	**11.2 प्रोत्साहनों का एकमुश्त भुगतान–** इस नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति व छूट आदि के रूप में दिये जाने वाले समस्त प्रोत्साहनों का भुगतान एक स्वीकृति–पत्र एवं एक लेखाशीर्षक के माध्यम से नोडल एजेन्सी द्वारा किये जायेंगे।	11.2 **प्रोत्साहनों का एकमुश्त भुगतान–** इस नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों हेतु उत्तर प्रदेश एक्प्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) नोडल एजेंसी होगी।
11.5	**11.5 गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति–** उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में प्राविधानों के अनुसार रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योग को 24/7 विश्सनीय गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।	11.5 निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त Infrastructure सुविधायें यथा– 132 के.वी.ए. स्तर की विद्युत प्रणाली तंत्र जलापूर्ति, सड़क से कनेक्टीविटी तथा भूमि के डिमार्केशन हेतु पिलरों के साथ प्रदान की जायेगी।
11	नये उप प्रस्तर 11.7 व 11.8 जोड़ा जाना	11.7 इस नीति में प्राविधानित सुविधाओं/छूटों की स्वीकृति की प्रकिया वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में दी गयी है। 11.8 इस नीति में आच्छादित पात्र इकाईयों को भूमि क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की किसी अन्य नीति में प्राविधानित कोई सुविधा/छूट अनुमन्य नहीं होगी।

आलोक

12.3 के नोट 1 व 6	12.3 इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी। नोट 1. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को अपनी सुविधाओं (परीक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं, यथा–कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु रियायती दर पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। 6. किसी भी अन्य नीति अथवा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।	12.3 इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी। नोट 1. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को अपनी सुविधाओं (परीक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं, यथा–कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। 6. नीति के अधीन केवल उन्हीं इकाइयों को रियायतें/सुविधायें दी जायेंगी जो इस नीति के प्रख्यापन के पश्चात् स्थापित की जायेंगी। केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।

आलोक
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 976 /77–6–2019–एल0सी0 03/2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. अधिशासी निदेशक, उद्योगबन्धु, 12–सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति उद्योग बन्धु की वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।